Pl. upload on
LSG website
13/3

न्यायिक प्रकरण अत्यावश्यक
स्मरण पत्र-1

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(क)(अव.)( )डीएलबी/19/4090-4286 दिनांक 11-3-2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर मे विचाराधीन अवमानना प्रकरण/अन्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावों के संबंध में प्रभावशील कार्यवाही करने बाबत्।

प्रसंगः– इस विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 1598–1798 दि. 17.02.2020 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के समक्ष विचाराधीन अवमानना याचिकाओं/अन्य याचिकाओं एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन दावों के संबंध में न्याय विभाग की **लाईटस वेबसाईट** की समीक्षा बैठक में प्रकरणों की धीमी गति से निस्तारण होने को गम्भीरता से लेते हुए न्यायिक प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किये जाने तथा वादों के निस्तारण को लाईटस बेवसाईट पर अपडेशन करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये थे। यह भी निर्देशित किया गया था कि न्यायिक वादों में प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किये जाने तदउपरान्त पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया था। यह भी निर्देशित किया गया था कि उक्त बेवसाईट की साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा अनुपालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत कराया जावे, ऐसा नही करने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी प्रदान किये गये थे।

उक्त निर्देश प्रदान किये जाने के पश्चात् भी अभी तक आप द्वारा की गई कार्यवाही व निर्देशों की अनुपालना में अभी तक किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक निर्देशों की पालना तुरन्त सुनिश्चित की जाये तथा लाईटस बेवसाईट का अपडेशन करके आप द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति रिपोर्ट सात दिवस में विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपको उक्त निर्देशों की पालना नही किये जाने का उत्तरदायी मानते हुए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उक्त पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पालना रिपोर्ट सात दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(क)(अव.)( )डीएलबी/19/4287-4298 दिनाक 11-3-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
3. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय।
4. संबंधित विधि अधिकारी, विधि अनुभाग निदेशालय।
5. श्री डी.के. जिन्दल, प्रभारी विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB\RATNU JI\LETTER 2017.DOCX

Scanned with CamScanner